



पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 का ऐलान

आयकर छापे में 70 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति मिली

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर 2023(ए)। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि मिजोरम में सबसे पहले चुनाव करवाए जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

17 अक्टूबर को जारी होगी वोटिंग लिस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि पांच राज्यों में 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटिंग लिस्ट जारी होगी, 23 अक्टूबर तक वोटिंग लिस्ट में सुधार का मौका मिलेगा।

60 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस राज्य में कितने लोग वोट डालने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 60 लाख युवा वोटर्स पहली बार वोट डालने वाले हैं। मिजोरम में कुल मिलाकर 8.52 लाख वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़ और तेलंगाना में 3.17 करोड़ वोटर्स हैं।

छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होगा चुनाव, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव

विधानसभा चुनाव 2023

| | |
|-------------------|---------------|
| मध्य प्रदेश | 17 नवंबर |
| राजस्थान | 23 नवंबर |
| छत्तीसगढ़ | 7 और 17 नवंबर |
| तेलंगाना | 30 नवंबर |
| मिजोरम | 7 नवंबर |
| परिणाम - 3 दिसंबर | |

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 5 चुनावी राज्यों में हमने 40 दिनों में

प्रवर्तन एजेंसियों से बात की गई। सीईसी राजीव कुमार ने बताया, 17

भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी बदलाव कराना है, करा सकता है। ये

पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। 31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी। तभी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।

बजुर्ग लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी।

5 राज्यों में 940 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। इन्हें राज्य पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां सभालेंगी। चौफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया, चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठकें कीं। हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। उनके सुझाव और फीडबैक लिए। मिजोरम का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म हो रहा है। बाकी राज्यों का कार्यकाल जनवरी 2024 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 5 राज्यों में 679

विधानसभा सीटें हैं। इन राज्यों में 16.14 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से 8.2 करोड़ मेल और 7.8 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। इन राज्यों में 60.2 लाख ऐसे वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करेंगे।

8000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगी महिलाएं

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 17,734 मॉडल पोलिंग स्टेशन, 621 पोलिंग स्टेशन के प्रबंधन का जिम्मा पीडब्ल्यूडी स्टाफ के पास होगा। 8,192 पोलिंग स्टेशन का जिम्मा महिलाएं सभालने वाली हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पांच राज्यों के 679 विधानसभा सीटों में 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 17 अक्टूबर को जारी होगी वोटिंग लिस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि पांच राज्यों में 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटिंग लिस्ट जारी होगी, 23 अक्टूबर तक वोटिंग लिस्ट में सुधार का मौका मिलेगा।

जयपुर, 09 अक्टूबर 2023(ए)। राजस्थान के उदयपुर शहर में रियल एस्टेट कारोबारियों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 70 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है।

अधिकारियों के मुताबिक विभाग की टीमों ने कारोबारियों के घरों और अन्य ठिकानों से संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेज जुटाए हैं। इसके अलावा तीन रियल एस्टेट कंपनियों और उनके सहयोगियों के दफ्तरों और घरों से करीब 70 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति मिली है। हालांकि, आयकर विभाग के अधिकारियों ने ब्योरा नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले चार दिनों से 40 टीमों और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कार्रवाई में लगे हुए थे। इन टीमों ने बिल्डिंग और अन्य व्यवसायियों से जुड़े 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। चौथे दिन करीब 17 बैंक लॉकर खोले गये, जिसमें से 70 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति दर्ज है। सूत्रों ने बताया कि इसमें छह किलो सोना, 90 किलो चांदी और 2.5 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में नगर पालिका नौकरी घोटाला

अव वीजेपी विधायक के आवास पर सीबीआई का छापा

कोलकाता, 09 अक्टूबर 2023(ए)। पहली बार पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगर पालिकाओं में भर्ती अनियमितता मामले में भाजपा का नाम शामिल हुआ है। सीबीआई ने सोमवार सुबह से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट निर्वाचन क्षेत्र के भगवा विधायक पार्थसारथी चटर्जी के आवास पर छापेमारी की। वह राणाघाट नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी थे। रविवार को, सीबीआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में 12 स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी

अभियान चलाया, जिसमें पश्चिम बंगाल के नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास भी शामिल थे। सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व शुरू से ही यह दावा करता रहा है कि ये छापेमारी और तलाशी अभियान भाजपा और केंद्र सरकार की



प्रतिशोध की राजनीति के कारण है, जिसकी प्रक्रिया में केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। अब, भाजपा विधायक के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद, पर्यवेक्षकों को लगता है

कि राज्य में भगवा खेमे के पास अब यह दावा करने का मौका होगा कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीति से प्रभावित नहीं हो रही हैं। भाजपा में शामिल होने और 2021 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने से पहले चटर्जी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों से जुड़े रहे थे। वह 25 वर्षों की लंबी अवधि तक राणाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, पहले कांग्रेस की ओर से और फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर से। वह 2011 में तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी बने, जिस वर्ष पश्चिम बंगाल में 35 साल के वाम मोर्चा शासन को हटकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी। हालांकि, 2016 के राज्य विधानसभा चुनावों में उन्हें वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार शंकर सिंह से हार मिली। चटर्जी 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उसी राणाघाट (उत्तर-पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया। वह 22,910 वोटों के अंतर से निर्वाचित हुए।

माफिया अतीक अहमद के बेटे बाल गृह से रिहा

बाल कल्याण समिति के आदेश पर किए गए बुआ के हवाले

प्रयागराज, 09 अक्टूबर 2023(ए)।

माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटों को सोमवार को बाल संरक्षण गृह से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाल कल्याण समिति ने एहजम को रिहा करने का आदेश जारी किया। देर शाम एहजम और उसके छोटे भाई को उनकी बुआ शाहीन परवीन को सुपुर्द कर दिया गया। रिहाई की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लिया है। इसी साल एहजम चार अक्टूबर को 18

साल का हो चुका है और ऐसे में नियमानुसार उसे बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता। ज्ञात हो कि उसकी बुआ शाहीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बान्साल ने अतीक अहमद के दोनो नाबालिग बेटों को चिकित्सा इलाज से बरामद किया था। दोनो की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें कोर्ट के आदेश पर बाल संरक्षण गृह में लगा गया था। यह दोनो बच्चे चौथे और पांचवें नंबर के हैं। एहजम इसी महीने 18 साल का हो गया है। नियमानुसार उसे अब बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता।

साल का हो चुका है और ऐसे में नियमानुसार उसे बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता। ज्ञात हो कि उसकी बुआ शाहीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बान्साल ने अतीक अहमद के दोनो नाबालिग बेटों को चिकित्सा इलाज से बरामद किया था। दोनो की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें कोर्ट के आदेश पर बाल संरक्षण गृह में लगा गया था। यह दोनो बच्चे चौथे और पांचवें नंबर के हैं। एहजम इसी महीने 18 साल का हो गया है। नियमानुसार उसे अब बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता।

अविनाश रेड्डी को राहत देने से इनकार

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर 2023(ए)। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। इन फैसलों ने देश का ध्यान खींचने वाले मामले में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की सल्लिसता पर सवाल उठाए हैं। यह मामला एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस विवेकानंद रेड्डी की नृपति हत्या का है। वाईएस विवेकानंद रेड्डी 15 मार्च, 2019 को कडप्पा स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। उनकी हत्या की जांच चार वर्षों से चल रही है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के रिश्तेदार अविनाश रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की

मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी कि वह हत्या में शामिल नहीं थे और गिरफ्तारी से सुरक्षा का अनुरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों और के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आंकलन से सहमत जताई और अविनाश रेड्डी की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया। वाईएसआरसीपी पर अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। आलोचकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री के एक करीबी रिश्तेदार की हत्या के मामले में वाईएसआरसीपी के एक वरिष्ठ नेता को राहत देने से इनकार करना, पार्टी की भागीदारी और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उसके कथित प्रयासों पर सवाल उठाता है। जैसे-जैसे मामला सामने आ रहा है, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग बढ़ती जा रही है।

के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आंकलन से सहमत जताई और अविनाश रेड्डी की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया। वाईएसआरसीपी पर अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। आलोचकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री के एक करीबी रिश्तेदार की हत्या के मामले में वाईएसआरसीपी के एक वरिष्ठ नेता को राहत देने से इनकार करना, पार्टी की भागीदारी और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उसके कथित प्रयासों पर सवाल उठाता है। जैसे-जैसे मामला सामने आ रहा है, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग बढ़ती जा रही है।



आयकर विभाग ने वारामूला में बिजनेसमैन से जुड़े परिसरों पर मारे छापे

श्रीनगर, 09 अक्टूबर 2023(ए)। आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के वारामूला जिले के सोपोर शहर में एक व्यवसायी के आवास और कार्यालय पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी एआरसीओ बिजनेसमैन रूप के मालिक जावेद अहमद अन्स के घर और दुकान पर हो रही है। सूत्रों ने कहा, छापेमारी पूरी होने के बाद विवरण साझा किया जाएगा।

टोल टैक्स को लेकर राज ठाकरे ने दी धमकी

टोल टैक्स बंद करो नहीं तो टोल बूथ जला देंगे मुंबई, 09 अक्टूबर 2023(ए)।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने टोल टैक्स को राज्य का सबसे बड़ा 'घोटाला' करार देते हुए सोमवार को सड़क टोल टैक्स व्यवस्था को खत्म करने की मांग की, ऐसा नहीं करने पर 'टोल बूथ जलाने की धमकी दी। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मनसे नेता ने कहा कि बहुत जल्द उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सभी टोल बूथों पर जाएंगे और छोटे वाहनों से टोल टैक्स की वसूली को रोकेंगे। राज ठाकरे ने धमकी दी, मैं कुछ दिनों में सोमप एकनाथ शिंदे के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा और देखूंगा कि क्या प्रतिक्रिया मिलती

है। इसके बाद, मेरे लोग सभी टोल संग्रह चौकियों पर जाएंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छोटे वाहनों से टोल एकत्र न किया जाए। अगर सरकार हमारे खिलाफ

घोटाला है, और सवाल किया कि हर साल उन्हीं कंपनियों को टोल संग्रह का ठेका क्यों मिलता रहता है। राज ठाकरे ने कहा, हम पहले से ही रोड टैक्स दे रहे हैं, फिर हमें

सड़कों और राजमार्गों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया में, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडनवीस ने कहा कि चार पक्षिया वाहनों सहित सभी छोटे वाहनों को सरकार के निर्देश के अनुसार टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है। राज ठाकरे ने पिछले तीन दशकों में लगातार सरकारों की आलोचना की, जिन्होंने टोल टैक्स खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया है। प्रभाव के लिए अपनी ट्रेडमार्क शैली 'लाव रे ते चींटियों' (वह वीडियो चलाए) पर लौटते हुए, राज ठाकरे ने दिवंगत गोपीनाथ मुंडे, पूर्व सीएम देवेंद्र फडनवीस और उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार जैसे नेताओं के पुराने वीडियो भी चलाए।

बंगाल में डेंगू की स्थिति भयावह

मरीजों की संख्या 50 हजार के पार कोलकाता, 09 अक्टूबर 2023(ए)।

पश्चिम बंगाल में डेंगू चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे प्रभावित लोगों की कुल संख्या 50 हजार का आंकड़ा पार कर गई है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के पास उ प ल ष ड आंकड़ों के अनुसार, अब

अधिकारी जैसे भाजपा विधायकों ने दावा किया है कि कई मामलों में डेंगू से होने वाली मौतों को अज्ञात बुखार के कारण मौत के रूप में रिपोर्ट किया गया है, और इसलिए इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी सूत्रों को डर है कि आगामी दुर्गा पूजा उत्सव डेंगू के प्रकोप के साए में हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर 24 परगना है, जहां कुल मामलों की संख्या 11,244 तक पहुंच गई है। राज्य की राजधानी कोलकाता 6,070 के आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर और मुर्शिदाबाद 5,791 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। अन्य जिले जहां प्रभाव गंभीर था उनमें दक्षिण 24 परगना, हुगली, हावड़ा और मालदा शामिल हैं।

मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप के सांसद बने रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर 2023(ए)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय के उस हालिया आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद, फैजल को दूसरी बार सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा। शीर्ष अदालत की रोक के बाद फैजल अब सांसद बने रह सकते हैं। न्यायमूर्ति हृषिकेश राय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अस्त के रिमांड आदेश से दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ चालू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 22 अस्त के

आदेश ने दोषसिद्धि के निलंबन पर पुनर्विचार करने के लिए आदेश दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ फिलहाल जारी रहेगा। अदालत के समक्ष फैजल का प्रतिनिधित्व करते

कार्यकर्ता हैं। सिब्लल ने कहा, सत्र न्यायाधीश ने पाया कि कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। सिब्लल ने आगे कहा कि फैजल के निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप को बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रहने दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए लक्षद्वीप प्रशासन और शिक्षाधिकारियों से जवाब मांगा। जनवरी में, लक्षद्वीप के न्यायाधीशों की एक सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पी.एम. सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैजल को सजा सुनाई। इसके बाद 25 जनवरी को फैजल को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। सत्र अदालत ने फैजल को 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने मार्च में मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था। फिर शिक्षाधिकारियों और लक्षद्वीप प्रशासन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

केरल उच्च न्यायालय ने एसपीसी से फिल्म इंटरनेट ब्लॉगर्स की 'बेईमानी' पर ध्यान देने को कहा

कोच्चि, 09 अक्टूबर 2023(ए)।

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को उन ब्लॉगर्स पर ध्यान देने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जो नई फिल्मों के खिलाफ निहित स्वार्थों से खिलवाड़ करते हैं। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन फिल्म 'अरोमालिन्डे आद्याथे प्राणायाम' के निदेशक मुबीन रऊफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने फिल्म उद्योग पर ब्लॉगर्स के बेईमानी के नकारात्मक प्रभाव को सामने लाया और कार्रवाई की मांग की। जांच और संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, राज्य पुलिस प्रमुख, विद्वान सरकारी वकील के माध्यम से, इस अदालत को यह भी सूचित करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति या इकाई गैरकानूनी

और प्रेरित गतिविधियों सहित ऐसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। अदालत ने कहा, हालांकि, राज्य पुलिस प्रमुख को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि, अब उन्हें जिस बात का

के बाद कि इस तरह के कृत्य में निहित स्वार्थ लगे हुए हैं, कुछ किया जा सकता है या नहीं। एमिक्स वयूरी ने इस पर गौर करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने एक वैध मुद्दा उठाया है। अदालत ने कहा, हर फिल्म एक बौद्धिक संपदा है। ऐसा होने के अलावा, इसमें केवल निर्माता, मुख्य सितारे या निदेशक ही नहीं, बल्कि कई लोगों की प्रतिष्ठा, पसीना, खुन और आकांक्षाएं भी शामिल होती हैं। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि, किसी बौद्धिक संपदा की निष्पक्ष आलोचना ङ्क चाहे वह फिल्म हो या अन्यथा; ब्लैकमेल और जबरन वसूली के खतरनाक प्रयास के विपरीत, दो अलग-अलग पहलू हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से निपटा जाना चाहिए।

आचार सहिता लगते ही भाजपा की दूसरी लिस्ट भी जारी:

सीतापुर से रामकुमार नया चेहरा, सांसद रेणुका को भी मैदान में उतारा

- संवाददाता -
अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।
आचार सहिता की घोषणा होते ही विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 64 विधानसभा सीटों पर उसने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें जहां कुछ युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह को भी विधानसभा की टिकट दी गई है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सैनिक व युवा रामकुमार टोपो पर भाजपा ने सियासी दांव खेला है। रामकुमार टोपो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में जरापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही इन्हें भाजपा द्वारा टिकट देने की अटकलें लगाई जा रही थीं।
चुनाव आयोग द्वारा देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव व मतगणना की तिथि की घोषणा के साथ ही आचार सहिता भी लागू हो गया। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विधानसभा के 64 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। राजनीतिक गलियारों में अब तक



यही कयास लगाए जा रहे थे कि पितृपक्ष के बाद दोनों ही बड़ी पार्टियां टिकटों की घोषणा करेंगीं, लेकिन भाजपा ने इस मिथक को तोड़ दिया।
भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित कई पुराने चेहरों पर फिर दांव खेला है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह को भी एम्सीबी जिले के भरतपुर-सोनहत सीट से टिकट दी गई है। रेणुका सिंह पूर्व में प्रेमनगर सीट से 2 बार विधायक के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं।

सरगुजा संभाग की 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित

भाजपा की पहली लिस्ट में सरगुजा संभाग की 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। इनमें रामानुजगंज से रामविचार नेताम, लुंडा से प्रबोध मंज, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी व प्रतापपुर विस से शकुंतला पोते को उम्मीदवार बनाया गया था।
वहीं दूसरी लिस्ट में भाजपा ने भरतपुर-सोनहत सीट से सांसद रेणुका सिंह, मनेंद्रगढ़ से श्यामबिहारीजायसवाल, बैकुंठपुर से भद्रयालाल राजवाड़े, सामरी से उद्देवरी पैकरा व सीतापुर विस क्षेत्र से रामकुमार टोपो को टिकट दी है।

अम्बिकापुर के लिए अभी भी नाम तय नहीं

भाजपा ने अम्बिकापुर विधानसभा सीट से अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। दो से तीन नामों को लेकर अभी भी उल्लास की स्थिति है। जबकि इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव प्रमुख दावेदार हैं। इनके खिलाफ भाजपा इस बार सोच-समझकर ही प्रत्याशी उतारने के मूड में है।



बेवा महिला की सदृश हालत में मिली लाश, हत्या की संभावना

- संवाददाता -
सूरजपुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।
नगर के अग्रसेन वार्ड क्रमांक 12 स्थित भद्रपुरा मोहल्ले में 40 वर्षीया विधवा महिला की घर के अंदर सदृश हालत में लाश मिली है। प्रथम दृष्टिया हत्या का मामला माना जा रहा है।
भद्रपुरा बस्ती निवासी सुषमा सारथी पती स्वर्गीय लाल सिंह 40 वर्ष शराब बनाकर बेचने और पीने की आदी थीं। उनके घर में गैर मर्दों का अक्सर जाना आना होता था। विगत दो-तीन दिनों से विश्वाप्तुर निवासी कोई व्यक्ति इसके घर में आकर रुका था। सुबह 6 बजे के लगभग इस घर से उस व्यक्ति को निकाल कर जाते देखा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वही व्यक्ति इस मामले में संलिप्त होगा। फिलहाल पुलिस टीम मुस्तेदी से मामले की जांच कर रही है।

हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के व्यक्तित्व पर व्याख्यान का आयोजन

- संवाददाता -
अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन श्रद्धांजली दी गई और इनके व्यक्तित्व और कृति पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. आरके जायसवाल ने कहा कि भूगोल मनुष्य की प्रमुख आर्थिक व्यवस्था एवं विकास के प्राथमिक सेक्टर कृषि का अध्ययन करने वाला विषय है।
एमएस स्वामीनाथन ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना के लिए लगातार काम किया जिसमें कोई भूख या गरीबी आबादी न हो। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने भारत के लिए कृषि क्षेत्र में जिस नवीन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जिसके कारण अनाज का न सिर्फ उत्पादन बढ़ा अपितु भंडारण के साथ-साथ निर्यात की ओर भी भारत ने कदम बढ़ाया।
इस अवसर पर विभाग के प्राध्यापक डॉ



अनिल सिन्हा ने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन ने न सिर्फ कृषि उत्पादनों में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक तरीके बताए अपितु कृषि-परिवरण अनुकूल तकनीक, खाद्य उपलब्धता, जैव विविधता संरक्षण के लिए भी महान काम किया।
विश्व में भारत को खाद्यान्न शक्ति के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका अतुलनीय है।
विभाग की प्राध्यापक दीपिका स्वर्णकार ने कहा कि स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की मूल नींव रखी

थी जिसके परिणाम स्वरूप भारत में धान, गेहूँ के साथ-साथ सभी फसलों की उत्पादन मात्रा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।
यही कारण है कि भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के आधार पर अनेकानेक सम्मान व पुरस्कार से नवाजा था।
भूगोल स्नातकोत्तर परिषद के छत्र पंकज तिवारी ने उनके व्यक्तित्व व कृति पर प्रकाश डाला तथा उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर देश का सम्मान बढ़ने की बात कही।
कु. स्वाति ने कृषि नवाचारों व उत्पादन को बढ़ावा देने के योगदान के साथ किसानों के हितों की वकालत करने वाला वैज्ञानिक बताया। इस अवसर पर भूगोल विभाग के ओमकार कुशवाहा तथा छात्रों में भी अपने विचार रखे।
व्याख्यान वाला का संचालन बृजेश कुमार पांडे ने किया तथा धन्यवाद किया भूगोल परिषद की अध्यक्ष कु. चंचल गुप्ता ने किया। इस अवसर पर भूगोल विभागों की समस्त स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अग्र बंधुओं ने 60 यूनिट किया रक्तदान

- संवाददाता -
अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के आह्वान पर अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में 1 से 15 अक्टूबर तक विशाल रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन कर एक लाख ग्यारह हजार यूनिट्स रक्तदान हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन सरगुजा इकाई एवम अग्रवाल सभा, अग्रवाल युवा सभा के द्वारा अम्बिकापुर अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में अग्र बंधुओं ने रक्तदान करते हुए 60 यूनिट रक्तदान किया, जिसमें सम्मेलन के जिला अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने ब्लड देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में लखनपुर में अग्रवाल सभा अध्यक्ष हरविंद अग्रवाल कार्यकारी अध्यक्ष सचिन बंसल उपाध्यक्ष राजेश गर्ग सचिव सौरव अग्रवाल कोषाध्यक्ष राहुल गोयल एवम साथी



अग्रवाल सभा अम्बिकापुर, सचिव संजय अग्रवाल उपाध्यक्ष शुभम अग्रवाल युवा अध्यक्ष आयुष अग्रवाल, सचिव रोहन ताथल, सरगुजा जिला अध्यक्ष विकास अग्रवाल, महामंत्री प्रमोद अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, सम्मेलन की महिला संरक्षक प्रेमलता गोयल जी, जिला अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल जी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ इसके लिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने सभी को शुभकामनाएं दी गई।

की अगुवाई में 19 यूनिट ब्लड अग्र बंधुओं रक्तदान किया, जिस हेतु सभी को बहुत बहुत बधाई दी गई। सीतापुर अग्रसेन भवन में अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, सचिव अजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष पीतांबर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनूप गोयल, महिला मंडल अध्यक्ष ममता जिंदल, सचिव नीति जिंदल, नवयुवक समिति अध्यक्ष महिम गर्ग, सचिव अश्वत बंसल की निदेशन में 22 यूनिट ब्लड देकर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम में कृष्ण कुमार अग्रवाल प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय मित्तल अध्यक्ष श्री अग्रवाल सभा अम्बिकापुर, सचिव संजय अग्रवाल उपाध्यक्ष शुभम अग्रवाल युवा अध्यक्ष आयुष अग्रवाल, सचिव रोहन ताथल, सरगुजा जिला अध्यक्ष विकास अग्रवाल, महामंत्री प्रमोद अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, सम्मेलन की महिला संरक्षक प्रेमलता गोयल जी, जिला अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल जी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ इसके लिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने सभी को शुभकामनाएं दी गई।

विधानसभा आम निर्वाचन 2023

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेसवार्ता

जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूर्ण, आदर्श आचार सहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील



- संवाददाता -
अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।
आज से जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24x7 रहेगा एक्टिव। निर्वाचन सम्बन्धी सुझाव एवं शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1950 जारी। जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07774-296291 एवं 07774-296513 पर ही द संकेत हैं जानकारी...
विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार सहिता लागू किए जाने के पश्चात सोमवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक उपस्थित थे।

अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उपकलॉज (बी) एवं धारा 21 तथा सशस्त्र नियम 2016 के तहत जिला अंतर्गत समस्त लाइसेंसधारियों की आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा किये जाने निर्देश जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग न किया जा सके।

कलेक्टर कुन्दन ने बताया कि जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रमों के तहत सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्वरूनी की तिथि 31 अक्टूबर तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतदान की तिथि 03 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 06 लाख 49 हजार 319 मतदाता हैं। जिसमें 03 लाख 21 हजार 113 पुरुष मतदाता, 03 लाख 28 हजार 190 महिला मतदाता और 15 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5629, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 7029 है, सेवा मतदाताओं की संख्या 900 है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 781 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 09 लुण्डा के 254 मतदान केन्द्र, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 अम्बिकापुर के 274 मतदान केन्द्र और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 के सीतापुर के 244 मतदान केन्द्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन

के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में है। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सूक्ष्म बल की व्यवस्था की जा रही है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉर्मिनेशन एप्लिकेशन एवं ऑनलाइन भी सिक्ज्युरिटी डिपॉजिट जमा करने की सुविधा प्राप्त है। नॉर्मिनेशन फॉर्म के फ्रंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को हार्डकॉपी में जमा करना अनिवार्य होगा। विधानसभा 09-लुण्डा एवं 11-सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अतः इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि रुपये 5 हजार रुपए होगी एवं विधानसभा अम्बिकापुर क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित होने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी जमा की जाने वाली जमानत राशि दस हजार रुपये होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नामनिर्देशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वहां की अधिकतम संख्या 03 होगी। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप अभियान के माध्यम से जिले में कार्यक्रम संचालना जा रहा है।
कलेक्टर कुन्दन ने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उरोक्त कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। उन्होंने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार सहिता के उद्देश्य से सम्बंधित मामला संज्ञान में आते ही तत्काल सूचना दिए जाने कहा तथा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान हेतु सहयोग की अपील की। कलेक्टर श्री कुन्दन ने इस दौरान निर्वाचन से सम्बंधित सी विजिल, सुविधा, वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्न आउट, वोटर सर्विस पोर्टल सहित अन्य एप्लिकेशन के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800 23 311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07774-296291 एवं 07774-296513 पर भी कॉल किया जा सकता है।



आदर्श आचार सहिता लागू होते ही सूरजपुर पुलिस व प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च

- संवाददाता -
सूरजपुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।
चुनाव आदर्श आचार सहिता लागू होने के बाद सोमवार, 09 अक्टूबर को सूरजपुर पुलिस व प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च संयुक्त जिला कार्यालय सूरजपुर से शुरू होकर बैकुंठपुर रोड, भैयाथान रोड, केतका रोड होते हुए विश्रामपुर जयनगर के बाद थाना विश्रामपुर में पहुंचा। सूरजपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक श्री आई कल्याण एलिसेला के नेतृत्व में निकले मार्च में थाना-चौकी सहित पुलिस लाइन के भारी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवानों ने भाग लिया। 2023 चुनाव में आचार सहिता लागू होने की

सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं और जनता में विश्वास कायम करने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस के इस फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों में भय का माहौल देखा गया। मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल, एसडीएम रवि सिंह, सीएसपी एस.एस.पैकरा, तहसीलदार डॉ. वर्षा बंसल डीएसपी नदिनी ठाकुर, महालक्ष्मी कुलदीप, प्रशिक्षु डीएसपी मिथ्वा सलामे, रक्षित निरीक्षक रामप्रसाद पैकरा, अशोक गिरी, थाना प्रभारी सूरजपुर लक्ष्मण सिंह धुवें, थाना प्रभारी विश्रामपुर अलरिंक लकड़ा, थाना प्रभारी जयनगर सरफराज फिरदौस, यातायात प्रभारी सुनील सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी।

आदर्श आचार सहिता लागू होते ही रोका गया भूमिपूजन कार्य



अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)। अधिवक्ता संघ सीतापुर के द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अधिवक्ता संघ रोड के भूमिपूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे उक्त दिनांक को समय 12 बजे आदर्श आचार सहिता लागू होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरगुजा द्वारा दिव्य गे निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार सीतापुर रामसेवक पैकरा के द्वारा मौके पर जाकर कार्य रूकना का काम चलाया गया।

शस्त्र लायसेंस धारियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र समीपस्थ पुलिस थाने में जमा करने हेतु आदेश जारी

अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)। जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी कुन्दन कुमार ने आदेश जारी कर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिये सरगुजा जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसों को जमा करने कहा है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उप क्लॉज (बी), धारा 21 के तहत सरगुजा जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसियों तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसियों पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसियों आदर्श आचार सहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, पुलिस के संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी, सर्वेधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, बाल्को माईन्स, एस.ई.सी.एल. माईन्स, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण कंपनी, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु

आभार कार्यक्रम में नहीं रही ग्राम जनों की बेहतर उपस्थिति

क्या भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने का किया था भरसक प्रयास ?

भाजपा नेताओं ने विधायक के तंत्र पर भी बजाई ताली,सबसे उत्साहित दिखे भाजपा के दो वरिष्ठ नेता

ग्राम पंचायत पटना को मिला नगर पंचायत का दर्जा,क्षेत्रीय विधायक का हुआ अभिनंदन कार्यक्रम

कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी मंच पर पहुंचकर जताया क्षेत्रीय विधायक का आभार,दिया धन्यवाद

जनपद सदस्य ने समूहला मंच,किया मंच संचालन,बताया नगरीय निकाय में शामिल होने का महत्व

आदिवासी नेताओं की अनुपस्थिति ने खड़े किए सवाल,निर्णय को लेकर उनकी सहमति नहीं

आदिवासी वरिष्ठ नेता कार्यक्रम से रहे दूर,ग्राम से पूर्व सांसद रह चुके विधायक रह चुके,जिला पंचायत रह चुके पूर्व सरपंच रह चुके आदिवासी नेताओं ने बनाई रखी दूरी

सरपंच ग्राम पंचायत ने भी किया विधायक के प्रति आभार व्यक्त,जो कर सकी आगे उससे ज्यादा होगा विकास नगर पंचायत बनने के बाद

भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं की खुशी सबसे अधिक की गई महसूस,पार्टी लाइन छोड़कर उत्साह उनका झलक आया सामने

विधायक ने कहा पटना पहले ही बन सकता था नगर पंचायत,पूर्व सरकार ने रोका पहले हो सकने वाला विकास

नगर पंचायत की घोषणा के बाद ग्राम की आबादी दो हिस्सों में बंट गई है...

इस बीच बताया यह भी जा रहा है की नगर पंचायत की घोषणा के बाद ग्राम की आबादी दो हिस्सों में बंट गई है जिसमें एक हिस्सा नगर पंचायत के पक्ष में है वहीं दूसरा हिस्सा विरोध में,विरोध करने वालों ने आपत्ति भी नियमानुसार दर्ज की है वह आगे उच्च न्यायालय तक जाकर नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर विरोध दर्ज करेंगे यह उनकी तैयारी है, इस बीच विधायक के आभार प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान भी ग्राम की आबादी को दो हिस्सों में ही बंटा हुआ देखा गया जिसमें एक हिस्सा मौजूद रहा कार्यक्रम में जिसमें कुछ खास बाजारपारा निवासी खासकर व्यापारी समूह के अलावा अन्य कम ही नजर आए शेष ने कार्यक्रम में ही आना मुनासिब नहीं समझा और जो उपस्थित हो सके उन्ही के बीच आभार प्रदर्शन विधायक का किया गया। कार्यक्रम में विरोध दर्ज करने वालों को बुलाया भी नहीं गया यह भी बताया जा रहा है जिनकी सहमति थी वह पहुंचे शेष पूर्व उप सरपंच ने जिन्हे बुलाया वह पहुंचे।

यह नहीं देखे कार्यक्रम में

खासबात यह भी रही की इस कार्यक्रम आभार प्रदर्शन में ग्राम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य जो ग्राम के ही मतदाताओं द्वारा फिलहाल निर्वाचित हैं उन्हें नहीं बुलाया गया या बुलाया भी गया तो वह उपस्थित नहीं हुए, वहीं अन्य क्षेत्र के जनपद सदस्य ने उपस्थित होकर नगर पंचायत की महत्ता से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया वहीं उन्ही के द्वारा मंच संचालन भी किया गया। सबसे अजीब इस आभार प्रदर्शन की जो घटना रही उसमें यह देखा गया की सत्ताधारी दल के द्वारा घोषित नगर पंचायत की घोषणा उपरांत सत्ताधारी दल की विधायक के आभार प्रदर्शन कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने खुले दिल से हिस्सा लिया और उसमें भी सबसे विचित्र बात यह देखी गई की कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेताओं के द्वारा ताली भी सबसे ज्यादा बजाई गई।

नगर पंचायत का दर्जा 20 वर्षों से रुका रहा

विधायक ने जहां ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के अपने प्रयासों को लेकर यह कहा की यह काम 20 वर्ष पूर्व ही हो जाना था ग्राम के विकास को 20 वर्षों से रोके रखा गया था पूर्व की सरकार द्वारा वहीं उन्होंने नगर पंचायत नहीं बनाए जाने को लेकर पूर्व सरकार को जमकर कोसा,इस दौरान भाजपा के दो वरिष्ठ नेता जो मंचासिन थे उन्होंने इस बात पर भी ताली बजाई और कहीं न कहीं स्वीकार किया की उन्होंने वह प्रयास नहीं किया ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने को लेकर जो वर्तमान सरकार और विधायक ने किया और जो संभव हुआ।

नगर पंचायत हो जाने के बाद बढ़कर अनुदान मिल सकेगा

कार्यक्रम में वर्तमान सरपंच का उद्बोधन भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्होंने यह कहकर नगर पंचायत का समर्थन किया की अभी तक ग्राम पंचायत स्तर पर मिलने वाले अनुदानों से किसी तरह उनके द्वारा ग्राम विकास का कार्य किया जा रहा है जो आगे नगर पंचायत हो जाने के बाद बढ़कर अनुदान मिल सकेगा और विकास तेजी से हो सकेगा।

पार्षद भी कहकर संबोधित किया

आभार कार्यक्रम संपन्न हुआ,विधायक ने उपस्थित सरपंच सहित पंचों को अध्यक्ष सहित पार्षद भी कहकर संबोधित किया, उपस्थित ग्राम जनों को बधाई भी उन्होंने दिया,उन्होंने यह भी कहा की अभी पूरी तरह यह अभियान संपन्न नहीं हुआ है कुछ बढ़ाए जाएंगी जो दूर की जाएगी यह मैं विश्वास दिलाती हूँ। कार्यक्रम में पूर्व उप सरपंच पटना ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी थी और उनका प्रयास लगभग सफल भी नजर आया।

कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्र के नहीं किया गया कार्यक्रम में आमंत्रित,कार्यक्रम पूरी तरह एक कांग्रेस में नए नए शामिल नेता के रहा अधीन

कार्यक्रम में हर बात पर ताली बजाते भाजपा के वरिष्ठ दो नेताओं पर टिकी रही लोगों की नजर,हर बात में ताली उनकी फितरत दिखी

नगर पंचायत की खुशी में पटना ग्राम के ज्यादातर लोगों को नहीं किया गया आमंत्रित,खास लोगों के बीच किया गया विधायक का आभार प्रदर्शन

पटना क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य जनपद सदस्य को भी नहीं किया गया आमंत्रित, अन्य क्षेत्र के जनपद सदस्य ने खुद से दर्ज कराई अपनी उपस्थिति



-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर 09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत बनाने के लिए बैकुण्ठपुर विधायक सिद्ध से लगी हुई है वहीं इस अभियान में उनका साथ पटना ग्राम पंचायत के पूर्व उप सरपंच दे रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के ग्राम आगमन पर भी नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर अनुरोध प्रदर्शन किया था और माना जाता है की उसी प्रदर्शन से मुख्यमंत्री प्रेरित हुए थे और उन्होंने नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा थी कार्यवाही भी चालू हुई लेकिन बीच में यह अभियान कुछ दिनों तक ठंडा नजर आया और लगा की शायद नगर पंचायत की घोषणा घोषणा ही रह जाए और इसका गठन शायद ही हो पाए लेकिन सितंबर माह

क्या एक भी योग्य कांग्रेस नेता नहीं थे पटना में जो मंच का संचालन कर सके ?

तानुज यह भी माना गया की जिस ग्राम का नगर पंचायत में उन्नयन हुआ उस पंचायत से जो नगर पंचायत का दर्जा पाने जा रहा है एक योग्य ऐसा कांग्रेस नेता सामने नहीं आ सका जो मंच का भी संचालन कर सके। मंच संचालन करने के लिए भी त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत निर्वाचित एक जनप्रतिनिधि का सहारा लेना पड़ा पटना ग्राम या कहीं भविष्य के नगर पंचायत वासियों को,यह भी चर्चा देखी सुनी गई।

के आखिर सप्ताह के बाद से इसकी प्रक्रिया में

गति देखी गई और देखा गया की पटना ग्राम पंचायत नगर पंचायत बनाया जाए इसको लेकर प्रशासन चुस्त नजर आया और इसी बीच प्रशासन की चुस्त कार्यवाही देखने को भी मिली और अधिसूचना भी जारी हुई,अधिसूचना जो जारी हुई उसके अनुसार दावा आपत्ति का फिलहाल समय दिया गया है और जिसे नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर आपत्ति है वह अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है यह अधिसूचना प्रकाशन का उद्देश्य है इसी बीच अधिसूचना का प्रकाशन होने उपरांत ही ग्राम के कुछ लोगों को अत्यंत उत्साह में देखा गया और उन्ही के द्वारा विधायक का आभार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया जो खबर को संपन्न हुआ। यह खबर सोशल मीडिया में पोस्ट वीडियो व जन चर्चा के आधार पर तयार किया गया है।

कुछ भाजपा तो कुछ कांग्रेस नेता तो कुछ व्यापारी ने हिस्सेदारी निभाई और कार्यक्रम संपन्न हुआ

वैसे कार्यक्रम में ग्राम के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके ग्राम के सम्मानित व्यक्ति इस दौरान अनुपस्थित रहे, पूर्व सरपंच रह चुके साथ ही जिला पंचायत कोरिया के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके ग्राम के वरिष्ठ आदिवासी नेता भी कार्यक्रम से दूर रहे वहीं ग्राम के पूर्व सरपंच रहे साथ ही ग्राम विकास में लगातार योगदान देने वाले ग्राम के

वरिष्ठ आदिवासी नेता भी कार्यक्रम से नदारत रहे। कुल मिलाकर कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने कुछ हिस्सेदारी निभाई वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं ने हिस्सेदारी निभाई कुछ व्यापारी वर्ग ने हिस्सेदारी निभाई और कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसजनों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही, ग्राम पटना से सीधा जुड़ाव रखने वाले हर दुख सुख में सभी के शामिल होने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता

योगेश शुक्ला सहित जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदंती तिवारी की अनुपस्थिति नजर आई और सवाल खड़ा हुआ की क्या उन्हे बुलाया नहीं गया या बुलावे के बाद वह नहीं पहुंचे, वैसे बताया जा रहा है की हाल फिलहाल विधायक से जुड़कर उनके खास बन चुके एक कांग्रेस नेता की बातें आयोजकों ने मानी और उनके बताए अनुसार ही अतिथि बुलाए गए और ग्राम जन बुलाए गए।

कार्यक्रम की झलकियां जो चर्चा की वजह बनी

चर्चा 1: ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा मिलने पर विधायक के आभार प्रदर्शन के लिए आयोजित कार्यक्रम में संख्या ग्राम जनों की कम नजर आई,जो चर्चा का विषय बनी।

चर्चा 2: ग्राम के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी और कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत नहीं की,इसे उनकी असहमति स्वरूप माना गया।

चर्चा 3: ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिला,ग्राम स्तर में विधायक का सम्मान कार्यक्रम रखा गया,कार्यक्रम में ग्राम के ही अधिकांश कांग्रेसी नहीं नजर आए जो चर्चा सुनी गई।

चर्चा 4: कार्यक्रम में आसपास के वरिष्ठ कांग्रेसजनों को नहीं बुलाया गया और इसकी वजह भी अज्ञात रही इसको लेकर भी चर्चा सुनी गई,जबकि कई कांग्रेसी नगर पंचायत के समर्थक माने जाते थे और समय समय पर मांग का समर्थन करते थे।

चर्चा 5: नगर पंचायत के लिए अधिसूचना जारी होने पर पहले कुछ कांग्रेस नेताओं ने इस उपलब्धि को पटना चौरासी के लिए उपलब्धि निरूपित किया था सोशल मीडिया में आभार प्रदर्शन सहित स्वागत कार्यक्रम में विधायक के पटना चौरासी के वरिष्ठ जनों सहित ग्राम जनों को नहीं किया गया आमंत्रित यह भी चर्चा सुनी गई।

चर्चा 6: भाजपा नेताओं को मंचासिन देखकर भी बातें सामने आई, उनका बात पर ताली बजाना लोगों को काफी रास आया और बाद में यह भी लोग कहते सुने गए की नगर पंचायत की घोषणा का सबसे ज्यादा उत्साह भाजपा नेताओं में देखा गया जिन्होंने कुर्सी सबसे पहले पकड़ी कार्यक्रम में और छोड़ी सबसे बाद में,लोग यह भी कहते सुने गए की भाजपा नेताओं को नगर पंचायत का सबसे ज्यादा इंतजार है,उनका कुछ निजी स्वार्थ है जो नगर पंचायत बनने उपरांत ही पूरा हो सकेगा इसलिए वह उत्साहित नजर आए पार्टी लाइन के विपरीत जाकर मंच साझा किया वहीं उन्होंने तब भी ताली बजाई जब विधायक ने पिछली भाजपा सरकार को कोसने का काम किया।

चर्चा 7: विधायक ने भी इसे अपनी उपलब्धि बतौर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने कई अन्य लाभ भी गिनाने की कोशिश की जो नगर पंचायत का दर्जा मिलने उपरांत मिलने की बात उन्होंने कही।

चर्चा 8: आधी आबादी भी कार्यक्रम में नहीं हुई शामिल,उत्साह बाजारपारा तक ही देखा गया सिमटा,विधायक के सम्मान सहित उनके प्रति आभार के लिए पूर्व उप सरपंच ने जिसे जल्दी समझा उसे ही किया आमंत्रित।

कलेक्टर सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित



-संवाददाता-

सूरजपुर,09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने कलेक्टर सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित रखी थी। जिसमें निर्वाचन की गतिविधियों के संबंध में उपस्थित जनों को जानकारी मुहैया करायी गयी। जिसमें उन्हें बताया कि सूरजपुर जिले में 01 पूर्ण

एवं 03 विधानसभा आंशिक है इस प्रकार सूरजपुर जिले में 04 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव (300 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले एवं 06 मतदान केंद्र सरगुजा जिले के) एवं 06 प्रतापपुर (152 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले के एवं 144 मतदान केंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज के) तथा विधानसभा क्षेत्र 10 अम्बिकापुर के 01 मतदान केंद्र (03 गेतरा) सूरजपुर में शामिल है। जिले में कुल 728 मतदान केंद्र है। (शहरी 53 ग्रामीण 675) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 प्रतापपुर विधानसभा के सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। शेष विधानसभा क्षेत्र 04

प्रेमनगर एवं 05 भटगांव सामान्य सीट है। इसके साथ ही निर्वाचन के गतिविधियों के तहत निर्वाचन गतिविधियों में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का अंतिम तिथि 02 नवम्बर 2023, मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023, मतगणना की तिथि 03 दिसम्बर 2023 तथा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 05 दिसम्बर 2023 को निर्धारित की गई है। इस बैठक में राजनीतिक दलों के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।



विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा पर कलेक्टर ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस

-संवाददाता-

सूरजपुर,09 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने कलेक्टर सभा कक्ष में पत्रकार बन्धुओं के साथ प्रेस वार्ता की। जिसमें निर्वाचन की गतिविधियों के संबंध में उपस्थित

जनों को जानकारी मुहैया करायी गयी। जिसमें उन्हें बताया कि सूरजपुर जिले में 01 पूर्ण एवं 03 विधानसभा आंशिक है इस प्रकार सूरजपुर जिले में 04 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव (300 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले एवं 06 मतदान केंद्र सरगुजा जिले के) एवं 06 प्रतापपुर (152 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले के एवं 144 मतदान केंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज के) तथा विधानसभा क्षेत्र 10

अम्बिकापुर के 01 मतदान केंद्र (03 गेतरा) सूरजपुर में शामिल है। जिले में कुल 728 मतदान केंद्र है। (शहरी 53 ग्रामीण 675) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 प्रतापपुर विधानसभा के सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। शेष विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर एवं 05 भटगांव सामान्य सीट है। इसके साथ ही निर्वाचन के गतिविधियों के तहत निर्वाचन गतिविधियों में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 21

ओल्ड इस गोल्ड के तर्ज पर भाजपा की दूसरी लिस्ट में एक बार फिर पुराने चेहरे को मिली जगह

रामपुर से ननकीराम, पाली तानाखार से रामदयाल उडके व कटघोरा से प्रेमचंद पटेल को मिली टिकट

-संवाददाता-
कोरबा, 09 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में भाजपा ने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी से आगे निकल गई। जहां करीब एक माह पूर्व प्रत्याशियों को पहली लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कोरबा विधानसभा से लखनलाल देवांगन को टिकट मिला है। वहीं निर्वाचन आयोग के चुनाव घोषणा के साथ ही भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जिसमें 64



विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को टिकट मिला है। अब भाजपा ने प्रदेश के 90 सीटों में से कुल 85 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जबकि कांग्रेस ने अभी तक किसी भी सीट से प्रत्याशी का नाम जारी नहीं कर सकी है। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने से पूर्व कुछ सीटों में यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बार नए चेहरों को टिकट दिया जायेगा पर भाजपा ने ओल्ड इस गोल्ड की तर्ज पर एक बार फिर पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। खास बात यह है कि लखनलाल देवांगन को कोरबा विधानसभा से टिकट

मिलने पर शहर के भाजपा नेता कटघोरा से उम्मीद लगा बैठे थे। कुछ पाली तानाखार में भी जगह तलाश रहे थे। रामपुर से भी भाजपा के दिग्गज जनप्रतिनिधि ननकीराम को हटाकर नए को मोक़ा देने का भी चक्रव्यूह तैयार किया गया था। वहीं सोशल मीडिया में शहर के कई बड़े नेता दावा जोकते हुए प्रत्याशी के तौर पर आगे चल रहे थे, लेकिन लिस्ट जारी होते ही वे दौड़ से बाहर हो गए। आगे देखा जायेगा कि ऐसे नेता चुनाव में क्या कदम उठाते हैं, वे 'हम साथ-साथ हैं' या 'हम आपके हैं कौन' का राग अलापेंगे।

निर्वाचन 2023 के तहत आचार संहिता लगते ही प्रशासन आया एक्शन मोड पर, उतारे जाने लगे होर्डिंग और फ्लैक्स

विधानसभा आम निर्वाचन 2023: जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शीघ्रता से की जा रही है कार्यवाही



-संवाददाता-
कोरबा, 09 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दिया गया है। जिसके बाद जिले में प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत

कार्यवाही शुरू की गई है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसका नजारा दोपहर में दिखा जब नगर निगम के कर्मचारी सरकारी खंभे, भवन समेत अन्य जगह लगे होर्डिंग और फ्लैक्स उतार कर ज्वट करने की कार्यवाही करते दिखे। नगर निगम की अलग-अलग टीम शहर में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही छत्तीसगढ़

शासन द्वारा लगाए गए होर्डिंग और फ्लैक्स को उतारने और ज्वट करने की कार्यवाही की। साथ ही शहर में लोगों के बीच इस बात की भी चर्चा होते दिखा के अब आचार संहिता लग जाने से किसी भी राजनीति पार्टी और नेताओं की नहीं चलेगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी चेकिंग में जुट गई है। शाम से शहर के प्रमुख सड़कों के अलावा जिले की सरहदों पर भी ताबडतोड़ चेकिंग शुरू होने की बात सामने आ रही है। नगर निगम के महापौर ने

चुनाव आचार संहिता लगने का पता चलते ही सरकारी गाड़ी को नगर निगम के कर्मशाला में प्रभारी इंजीनियर को गाड़ी की चाबी सौंपकर जमा कराया, वहीं निर्वाचन-2023 के लिए तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार के द्वारा सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टोरेट में आयोजित होने वाले जन चौपाल को आगामी आदेश तक के लिए भी स्थगित कर दिया गया है।

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आज 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन

कुमार के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार और एसपी सुनील शर्मा ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पलैंग मार्च कर शहर का लिया जायजा

कार्यालय नगर पंचायत, लखनपुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)

EMAIL: CMOLAKHANPUR@GMAIL.COM. WWW.NPLAKHANPUR.IN PHONE - 07774-261501
क्रमांक/1031/स्था./न.प./2023-2024 लखनपुर, दिनांक - 09/10/2023

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

नगर पंचायत लखनपुर में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत टेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

| सिस्टम टेन्डर नं. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (रुपए लाख में) | निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि |
|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| 149472 | Construction/laying of Drinking Water pipe Line at Defferent Ward/places at Nagar Panchayat Lakhapur Area (PHE SOR for water Supply, Sewerge & Allied Works w.c.f 01.06.2020 & Amendment) | 26.59 | 03.11.2023 |

टीप:- 01. उपरोक्त कार्यों की निविदा की समान्य शर्तें धरोहर रशि, विस्तृत निविदा विज्ञापि, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल <http://cgprocurement.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।
02. विज्ञापन की प्रति cg.uad.gov.in देखी जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत लखनपुर
जिला-सरगुजा (छ0ग0)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ0ग0)

रा.प्र.क्र./202302020700037 /ब-121/2022-23

आम सूचना

एतद द्वारा जमी आ. गौड़, निवासी दीपारा, मण्णौर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.को सूचित किया जाता है कि आवेदक तीर्थ रविदास आ. रामप्रसाद व अन्य निवासी पंचदेव मंदिर मंगल पाण्डेय वार्ड क्रमांक-13 अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4860 रकबा 0.40 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों में जुटिका जमी आ. गौड़ का नाम दर्ज हो गया है जिसे सुधार करते हुये आवेदकगण का नाम सुधन चमार के उत्तराधिकारी होने से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन के अन्तर्गत पर इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202302020700037/ब-121/2022-23 दर्ज कर अभिलेख सुधार हेतु प्रकरण विचाराधीन है। आवेदक पक्ष को आपका सही पता ज्ञात नहीं होने के कारण नोटिस तामिली नहीं हो पा रही है। समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उक्त संबंध में आपको कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/10/2023 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03/10/2023 को जारी किया जाता है।

आचार संहिता

निर्वाचन समाप्ति तक जिले के अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश रहेगा प्रतिबंधित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 09 अक्टूबर 2023
(घटती-घटना)।

विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु 09 अक्टूबर 2023 से सरगुजा जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है, कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी कर कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश के उपयोग तथा मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंधित किया है। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, नियंत्रण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./ /ब-121/2022-23

ईशतहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक किशोर कुमार स्वामी आ0 गयालाल स्वामी निवासी ग्राम रेलवे बंगलापारा जगन्नाथ मंदिर के पास रायगढ़ के द्वारा ग्राम मायापुर स्थित खसरा नंबर 175/5 रकबा 0.012 हे0 भूमि को आवेदक आशीष कुमार वर्मा आ0 गुणेश्वर प्रसाद वर्मा व अन्य निवासी गणेश दादा गली केदारपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राशि रूपये 5,00,000/- में विक्री करने का सौदा तय कर विक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 24/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से किया जाता है।

सील तहसीलदार अम्बिकापुर सरगुजा छ0ग0

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा), सरगुजा जिला-सरगुजा (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./ /अ-2/2022-23

ईशतहार

एतद द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम-लक्ष्मणपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गुणेश्वर प्रसाद पिकरा आ0 कवलसाय, जाति कवर, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, तहसील लटोरी, जिला-सरगुजा (छ0ग0) द्वारा उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम-लक्ष्मणपुर, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं पिलखा, तहसील लटोरी स्थित स्वयं की खाते की भूमि खसरा क्र.41/4 रकबा 0.14 हे0 कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिये भूमि व्यवर्तन हेतु इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 17/10/2023 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 03/10/2023 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी से किया गया।

सील विशेष कर्त्तव्याधिकारी भूमि व्यवर्तन, सरगुजा

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा), सक्षम पाधिकारी, सरगुजा, जिला-सरगुजा (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./202306260300043 /अ-2/2022-23

ईशतहार

एतद द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम-उंचडीह को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रीता देवी पति श्री संजय कुमार सोनी जाति सोनार निवासी ग्राम उंचडीह पोस्ट, तहसील व जिला सरगुजा (छ0ग0) द्वारा उनके आधिपत्य एवं स्वत्व की भूमि ग्राम-उंचडीह, प.ह.नं. 03, रा.नि.मं बसदेई तहसील सरगुजा स्थित स्वयं के खाते की भूमि खसरा क्रमांक 304/9 रकबा 0.03 हे0 कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि व्यवर्तन हेतु इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 10/10/2023 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 04/10/2023 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी से किया गया।

सील विशेष कर्त्तव्याधिकारी भूमि व्यवर्तन, सरगुजा

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा), सरगुजा जिला-सरगुजा (छ0ग0)
रा.प्र.क्र./ /अ-2/2022-23

ईशतहार

एतद द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम-सतपता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रमेश कुमार अग्रवाल आ0 गोविन्द राम अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी ग्राम शिवनंदनपुर, तहसील पिलखा जिला-सरगुजा (छ0ग0) द्वारा ग्राम-सतपता प.ह.नं. 54, रा.नि.मं पिलखा, तहसील पिलखा स्थित खाते की भूमि खसरा क्र.690/2 एवं 717/3 रकबा क्रमशः 0.10 एवं 0.010 हे0 कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिये भूमि व्यवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव उक्त संबंध में ग्राम-सतपता के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 13/10/2023 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 29/09/2023 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी से किया गया।

सील विशेष कर्त्तव्याधिकारी भूमि व्यवर्तन, सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202309020700048

विषय- अ-6 मामले की श्रेणी-राजस्व सन- 2022-2023 नमना कला प.ह.न. 00020243/2 (0.037080)

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार-ओंकारनाथ गुप्ता, अनावेदक पक्षकार-अमितेक कुमार दत्ता.

ईशतहार

आवेदक ओंकारनाथ गुप्ता आ0 स्व0 नथुनी प्रसाद गुप्ता निवासी सेमली तहसील व जिला बलरामपुर छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 243/2 में से रकबा 0.037 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12/12/1980 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06/11/2023 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/10/2023 को जारी किया जाता है।

सील तहसीलदार तहसील-(अम्बिकापुर)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202310020700005

विषय- व-121 मामले की श्रेणी-राजस्व सन- 2023-2024 फुन्दरिहारी प.ह.न. 00016 (हे0)

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार-अब्दुल जुनेद, अनावेदक पक्षकार-छ0ग0 शासन.

ईशतहार

आवेदक अब्दुल जुनेद आ0 स्व0 अब्दुल सोद निवासी लिंक रोड सी0एम0डी0 कॉलेज के पास, बिलासपुर तहसील बिलासपुर छ0ग0 वर्तमान निवासी बनारस चौक के पास अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम फुन्दरिहारी स्थित खसरा नंबर 334/87 रकबा 0.092 हे0 भूमि के हितोय प्रति करण पुरिसका हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 15/11/2023 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03/10/2023 को जारी किया जाता है।

सील तहसीलदार तहसील-(अम्बिकापुर)

आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड पर प्रशासन!

चौक-चौराहे से हटवा रही सरकारी पोस्टर और होर्डिंग

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। सड़क व चौक चौराहे पर लगे राजनीति पोस्टरों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही मंत्रियों के बंगले से पोस्टर, होर्डिंग्स, प्रचार-प्रचार वाले पोस्टर हटाए जा रहे हैं।

चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता आरम्भ हो गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंकण जिले में 7 नवंबर को मतदान होगा। तारीख सामने आते ही प्रशासन एक्टिव हो चुका है। प्रशासन ने जिला मुख्यालय सहित सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगे सरकारी होर्डिंग्स को निकालना शुरू कर दिया है। आज नगर पालिका के पास काफी संख्या में लगे कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग्स को निकाला गया। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी टीम बनाकर होर्डिंग्स निकालने की कार्यवाही की जा रही है।



होते ही सरकार की योजनाओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों की तस्वीर वाले विज्ञापन और होर्डिंग पर नजर है। ऐसे विज्ञापन को हटाने के लिए आयोग ने समय सीमा निर्धारित किया है। सरकारी दफ्तरों में लगे विज्ञापनों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर लगे प्रचार प्रसार के संसाधनों को 48 घंटे और निजी स्थलों में लगे विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। प्रशासन इनकी जानकारी एकत्रित करने में जुट गया है। अधिकृत रूप से घोषणा होने से पहले प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद सबसे पहले सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में मंत्री विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा जारी विज्ञापनों पर नजर जाती है। इसे हटाने के लिए आयोग ने अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की है। इस बीच संबंधित जनप्रतिनिधियों को इसे हटाना होगा, अन्यथा आयोग का कोप झेलना पड़ सकता है। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन आयोग के आदेश मिलते ही मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्लों में लगे विज्ञापन और होर्डिंग कार्रवाई शुरू कर देगी।

अलग समय सीमा निर्धारित की है। इस बीच संबंधित जनप्रतिनिधियों को इसे हटाना होगा, अन्यथा आयोग का कोप झेलना पड़ सकता है। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन आयोग के आदेश मिलते ही मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्लों में लगे विज्ञापन और होर्डिंग कार्रवाई शुरू कर देगी।

चुनाव की तारीखों का ऐलान, ट्रांसफर पर लगी रोक



छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनावी की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके साथ ही अब चुनाव प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। 7 नवंबर को पहले चरणों पर 20 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरणों पर 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में बस्तर की सभी 12 सीटों व वहीं राजनांदगांव, खैरागढ़ और मोहला मानपुर जिले की -6 और कवर्धा जिले की 2 सीटों मतदान होगा।



रणभेरी बजते ही नेताओं की सियासी ललकार

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव मतदाता, मतदान, दिवसंबर को होगा, लेकिन मतगणना और आदर्श आचार संहिता का ऐलान भी हो गया है। मिडिया में बयान से लग रहा है चुनावी रणभेरी बजते ही बीजेपी और कांग्रेस लीडर्स सियासी दलों व ललकार चर्चा में हैं। जीत और हार का पता तो 3 दिवसंबर को होगा, लेकिन मतगणना और आदर्श आचार संहिता का ऐलान भी हो गया है। मिडिया में बयान से लग रहा है उन्की जीत तय है

5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों की विवादों का भी उद्घोष हो गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन-कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है।

महिकाजुंनू खरो, अध्यक्ष एआईसीसी

हैं तैयार हम शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभिमान का नहीं रूकेगा अब ये रथ छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ फिर एक छत्तीसगढ़िया तैयार है, एक बार फिर भरोसे के हाथ जुड़ेंगे। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार।

भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छ. शासन

बिगुल बज चुका है एक नए समर का प्रगति का यह रथ निरंतर चलता रहे, परसर विश्वास का 5 सालों का सिलसिला जारी रहे, प्रदेश के बढ़ते गौरव का यह अश्वमेध रुकने न पाए यही संकल्प है छत्तीसगढ़ है तैयार, एक बार फिर, कांग्रेस की, भरोसे की सरकार!

टीएस सिंहदेव, उप-मुख्यमंत्री छ. शासन

दाऊ ने जिस प्रकार आदिवासी साथियों का शोषण किया है उसे देखते हुए आदिवासी अंचलों में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी साथी भाजपा के साथ हैं क्योंकि पिछले 15 साल भाजपा की सरकार ने आदिवासी भाइयों-बहनों के हित में कार्य किया है और निश्चित ही इस बार आदिवासी साथी कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

फोर्स की 35 कंपनी पहुंची, 135 और आएंगी

पहले 20 फिर 70 सीटों में वोटिंग

नक्सल प्रभावित इलाकों में 7 और मैदानी क्षेत्र में 17 नवम्बर को मतदान

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। जबकि बाकी बची 70 सीटों पर शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को मतदान किया जाएगा। 3 दिसंबर को पांच राज्यों की 679 सीटों की मतगणना होगी। चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए छत्तीसगढ़ में पहले ही 35 कंपनी पहुंच गई है।

जल्द ही 135 और रिजर्व फोर्स चुनाव के लिए आएंगी। इसमें एसएफ, सीआरपीएफ बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएफ के सुरक्षा अधिकारी और जवान आएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा।



31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी। तभी इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। जुर्गानों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 5 राज्यों में 940 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। इन्हें राज्य पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां संभालेंगी।

और चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठकें कीं। हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। उनके सुझाव और फीडबैक लिए।

छत्तीसगढ़ में बसपा-गोंगा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा प्रमुख ने साफ कर दिया कि वह विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा बीएसपी मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में गेण्डवना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा, मिजोरम को छोड़कर, राजस्थान व तेलंगाना इन दोनों राज्यों में अकेले ही बिना किसी से कोई समझौता किए हुए



चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है। वहीं मायावती ने आगे लिखा कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मिजोरम विधानसभा आमचुनाव अगले महीने कराने की

घोषणा का स्वागत, किन्तु चुनाव आयोग के लिए असली चुनौती सरकारी मशीनरी व धनबल आदि के दुरुपयोग को रोककर चुनाव को पूरी तरह स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने की है, जिस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर। पूर्व सीएम मायावती ने पोस्ट कर लिखा- साथ ही, खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनाव को गलत दिशा में प्रभावित करने के लिए लुभावने वादे व हवाहवाई घोषणाओं आदि पर अंकुश लगाना जरूरी, जिसको लेकर मा. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है।

सीएम सहित मंत्रियों और संसदीय सचिवों के कारों की वापसी का सिलसिला शुरू

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों चुनाव की अधिसूचना जारी करते छत्तीसगढ़ में भी प्रभावशील हो गया है। अब सीएम भूपेश सहित 12 मंत्रियों और 15 संसदीय सचिवों को जो वाहन सरकारी कामकाज के लिए दिए गए थे वो अब वापस स्टेट गैरेंज में पहुंच जायेंगे। नई सरकार के गठन तक ये स्टेट गैरेंज में ही रहेंगे। सरकार गठन होने के साथ नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पुनः अव्यक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेंज के अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि लक्जरी कारों में फार्च्यूनर, इनोवा, सफारी कारें हैं।



आचार संहिता लगने के बाद गाड़ियों का वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्रवाल ने बताया कि 55 दिनों तक इन गाड़ियों का रख-रखाव और परिणाम के बाद नई सरकार के मेटेंस स्टेट गैरेंज में होगा। चुनाव गठन तक सभी कारें अपडेट रहेंगे।

एक और एक्ट्रेस, मनीषा रानी से होगी पूछताछ

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप में एक एक करके फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें कई सुपरहिट एक्टर हैं। कुछ यूट्यूबर के नाम सामने आ चुके हैं। अब इस फिहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है, जो हाल ही में बिग बॉस से बेहद सुर्खियां बटोरी हैं। यह नाम मनीषा रानी का है, इंडी ने एक पार्टी की भी छान बीन की है, जिसमें मनीषा का नाम भी है। ऑन लाइन सट्टा में इंडी द्वारा मामले में पूछताछ के लिए रणबीर कपूर, अश्व कपूर, हुमा कुरेशी, हिना खान और कॉर्पोरेट कानून कौशल शर्मा जैसे बॉलीवुड ए-लिस्टर्स को बुलाए जाने के बाद भी और लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें बिग बॉस ओटीटी 2 की मनीषा रानी भी शामिल हैं।

खबर है की शादी के अलावा ही इंडी को एक पार्टी के बारे में पता चला। पार्टी इसी साल अप्रैल 2023 में थाईलैंड के फुकेट शहर में आयोजित की गई थी। ये पार्टी आईपीएल 2023 की ग्रैंड ओपनिंग के लिए रखी गई थी। इस पार्टी में तकरौबन 50 से ज्यादा सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर शामिल हुए जिसमें बिग बॉस ओटीटी 2 फेम मनीषा रानी भी शामिल थी। बता दें कि महादेव बुक नाम का ऐप लोगों को पैसे का लालच देकर यूजर बनवाती थी। इससे जुड़े वाले पहले ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के ही थे। कुछ महीने में ही इससे 12 लाख लोग जुड़ गए। इस ऐप के इस्तेमाल के लिए लोग अलग से अकाउंट तक खुलवाते थे। आईपीएल के दौरान इस ऐप से खूब सट्टेबाजी होती थी।

चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू



रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। चुनाव होने में अभी एक से डेढ़ महीना बाकी है। चुनाव को देखते हुए पुलिस विभाग ने वाहनों का अधिग्रहण करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रायपुर में अब तक 80 के करीब वाहनों का अधिग्रहण कर बाहर से आने वाली फेर्स को अलग-अलग जगह भेजने का कार्य किया गया है। वाहनों के अधिग्रहण करने की पुष्टि एएसपी सिटी लखन पटले ने भी की है। पुलिस रक्षित केंद्र के परिवहन शाखा के अफसरों के मुताबिक जरूरत के हिसाब से अभी वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। सुरक्षा फेर्स की अलग-अलग 20 कंपनियों यहां पहुंच चुकी हैं। उन कंपनियों को उनकी निर्धारित जगहों पर

भेजने के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। अफसरों के मुताबिक चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा कंपनियों की आमद का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है, छत्तीसगढ़ की गिनती नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में होती है। इस लिहाज से चुनाव के समय संवेदनशील इलाकों में चुनाव के पूर्व सुरक्षाबलों की तैनाती की जाती है। बाहर से आने वाली ज्यादातर फेर्स रायपुर के रास्ते ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होती है। इस स्थिति में बाहर से आने वाले जवानों को उनके गंतव्य की ओर भेजने के लिए वाहनों का अधिग्रहण समय से पूर्व किया जाता है।

भाजपा ने तीन सांसदों और पूर्व सीएम, मंत्रियों को उतारा मैदान में

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपनी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। जिसमें कुल 64 विधानसभा के प्रत्याशियों का नाम शामिल है। भाजपा ने 15 पूर्व मंत्री और तीन सांसद को टिकट दिया गया है। इस सूची से प ह ले भाजपा ने

प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 64 सीटों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को मौका दिया गया है। सूची में कुछ दिनों पहले वायरल सूची में शामिल ज्यादातर नाम हैं।

भाजपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक इस बार पार्टी ने सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। सरगुजा से सांसद के केंद्रीय मंत्री

आज जारी सूची में पूर्व मंत्री व मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहिले, धमतरी विधायक रंजना साहू व दयालदास बघेल को मौका दिया गया है। बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक

रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं गौमती साय को पथल गांव से मौका दिया गया है। इसके अलावा अरुण साव लोरमी विधानसभा चुनाव के लिए

रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं गौमती साय को पथल गांव से मौका दिया गया है। इसके अलावा अरुण साव लोरमी विधानसभा चुनाव के लिए



पूर्व आईएस नीलकंठ टेकाम को भी बीजेपी ने दी टिकट

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने कटघोर से प्रेमचंद पटेल जबकि रायगढ़ से पूर्व आईएस ओपी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह भाजपा ने जनता कांग्रेस के बागी नेता धर्मजीत सिंह को तखतपुर से टिकट दिया है। सबसे दिलचस्प मुक़ाबला रायगढ़ से पूर्व आईएस ओपी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह भाजपा ने जनता कांग्रेस के बागी नेता धर्मजीत सिंह को तखतपुर से टिकट दिया है। सबसे दिलचस्प मुक़ाबला रायगढ़ से पूर्व आईएस ओपी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह भाजपा ने जनता कांग्रेस के बागी नेता धर्मजीत सिंह को तखतपुर से टिकट दिया है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगते ही लागू होंगे ये सख्त नियम

रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 (ए)। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग इसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सूत्रों के मुताबिक, नवंबर दूसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते तक अलग-अलग तारीखों और चरणों में इन राज्यों में मतदान हो सकता है।

पिछली बार की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान कराया जा सकता है। हालांकि, मतदान की तारीख अलग-अलग होने की उम्मीद है। लेकिन सभी चुनावी राज्यों की मतगणना एक साथ कराने का निर्णय लिया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया से

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। मंत्री अपने आधिकारिक



दौर को चुनाव प्रचार कार्य में शामिल नहीं कर सकेंगे और न चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग किसी भी दल के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं होता। कोई

भी केन्द्र या राज्य सरकार का मंत्री आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी को नहीं बुला सकेगा। किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या किसी रंग की बिकन लाइट के उपयोग को अनुमति नहीं होगी। चुनाव के दौरान योजना के तहत निधि एम्पी-एमएलए फंड से जारी नहीं होगी। सरकारी राशि का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी घोषणा, लोकपण और शिलान्यास पर रोक लग जाती है। कोई भी नेता चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं